185 रोगी लाभान्वित

अजमेर/ गुलाबपुरा, (निसं): श्री प्राज्ञ मृगी रोग निवारक समिति गुलाबपुरा द्वारा संस्था परिसर में निशुल्क मृगी रोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 185 रोगी लाभांवित हुए। संस्था के मंत्री पदम चंद खटोड़ ने बताया की शिविर में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज एवं हॉस्पिटल जयपुर के वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन डॉ. आर के सुरेखा व टीम ने सेवाएं दी। शिविर का आयोजन स्वर्गीय हितेश कोठारी की पुण्य स्मृति में महावीर प्रसाद संजना कोठारी, कारगिल कोठारी मसूदा विजयनगर परिवार द्वारा किया गया। शिविर में अनिल चौधरी ने मरीजों को मृगी रोग से बचाव व योगा के बारे में योग क्रियाओं के बारे में जानकारी दी। संस्था के मंत्री खटोड़ ने संस्था की गतिविधि की जानकारी दी, अध्यक्ष घेवरचंद श्रीमाल एवं कार्याध्यक्ष देवकरण कोठारी ने लाभार्थी परिवार का अभिनंदन किया। कोषाध्यक्ष राजेंद्र चोरडिया ने आभार जताया। लाभार्थी परिवार से महावीर कोठारी, पवन बोरदिया ने सभी मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभ कामनाएं देते हुए संस्थान के कार्यों की सराहना की। शिविर में लाभार्थी परिवार के ताराचंद कांता कोठारी, महावीर संजना कोठारी, महावीर मंजु नाबेडा, पवन सुशीला बोरदिया, निहालचंद विमला बुरड़, राहुल कोठारी, मानसिंह बोरदिया, निहाल नाबेडा, ज्ञान नाबेडा, मनीष बड़ोला, महेंद्र बाबेल, विक्रम मोना नाहटा, सुनील मंजू नांबेडा सुनील सीमा चौधरी, अरुण बोरदिया, सुमन बोरदिया, रितेश बड़ोला, सारिका पीपाड़ा, अनिता छाजेड, खुशबू हिंगड ने सेवा दी। लाभार्थी परिवार की ओर से ऐसे 11 नए शिविर लगाने की घोषणा भी की। शिविर में मरीजो व परिजनों के लिए नि:शुल्क भोजन व्यवस्था नाकोडा कार बाजार गुलाबपुरा द्वारा सम्पत अजित नाहर एवं बस्तीराम मिठाई वाले गुलाबपुरा की ओर से की गई।

LSG/BEAWAR/MUT/2025/136015 DATE:-16.06.2025 रजि. हक-परित्याग

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26 /4109 दिनांक 25-06-25

सार्वजनिक सूचना

श्री मोहन मंगरोल पुत्र श्री रामचन्द्र जी मंगरोला निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 3 मास्टर कॉलोनी प्लाट नं. 02 खसरा नं. 1265 क्षेत्रफल 204.00 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री घनश्याम सैन पुत्र श्री भंवरलाल सैन के नाम पट्टा विलेख जारी है। तत्पश्चात रजि बेचान-नामा दिनांक 10.03.2010, रजि वसीयत-नामा दिनांक 23.06.2015, रजि हक-परित्याग दिनांक 09.06.2025 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोइ भी आपति विचारणीय नहीं होगी। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2025/136389 DATE:-19.06.2025 रजि. बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26 /4110 दिनांक 25-06-25

सार्वजनिक सूचना

श्री महफूज अली पुत्र श्री मोहम्मद अयुब निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 8 आर्शीवाद सिटी प्लाट नं. 128 का भाग प्रा नं. 128-ए क्षेत्रफल 118.63 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री शांतिलाल जैन पुत्र श्री चम्पालाल जैन के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि बेचान-नामा दिनांक 14.03.2022, 27.02.2025 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोइ भी आपति विचारणीय नहीं होगी। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2025/136389 DATE:-19.06.2025 रजि बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26 /4108 दिनांक 25-06-25

सार्वजनिक सूचना

श्री महफूज अली पुत्र श्री मोहम्मद अयुब निवासी ब्यावर क्षेत्र नं. 8 आर्शीवाद सिटी प्लाट नं. 128 का भाग प्रा नं. 128-ए क्षेत्रफल 118.63 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री शांतिलाल जैन पुत्र श्री चम्पालाल जैन के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि बेचान-नामा दिनांक 14.03.2022, 27.02.2025 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोइ भी आपति विचारणीय नहीं होगी। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

अग्रवाल बंधुओं के साथ हुई चोरी, डकैती

- लूट व नकबजनी घटनाओं को लेकर अग्रवाल समाज ने एसपी राणा को सौंपा ज्ञापन
- जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने जल्दी ही वारदात के खुलासे का दिया आश्वासन

अजमेर/ मदनगंज-किशनगढ़ (कासं)। मार्बल सिटी किशनगढ़ में विगत एक माह में अग्रवाल बंधुओं के साथ हुई चोरी, डकैती, लूट व नकबजनी की घटनाओं को लेकर श्री अग्रवाल समाज संस्था, मदनगंज किशनगढ़ ने बुधवार को अजमेर पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा।

श्री अग्रवाल समाज संस्था संरक्षक घनश्याम अग्रवाल कुचामन वाले, अध्यक्ष कैलाशचंद अग्रवाल व महामंत्री प्रदीप अग्रवाल की अगुवाई में अग्रवाल बंधुओं के प्रतिनिधिमंडल ने अजमेर पहुंचकर जिला पुलिस कप्तान वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा। जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में श्री अग्रवाल समाज संस्था के महामंत्री प्रदीप अग्रवाल ने उन्हें बताया कि किशनगढ़ में विगत एक माह के भीतर पहली घटना 22 मई को समाजबंधु दामोदर अग्रवाल के अग्रसेन भवन के पास वाली गली मे बंद पडे अग्रबंधु के मकान मे से लाखो रूपये के आभूषण व 12-13 लाख रुपए चोरी हो गए जिसका अभी तक भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। इसी तरह दूसरी घटना में समाजबंधु सर्वेश्वर गोयल के साथ 17 जून को दोपहर सवा तीन बजे पुराने बस स्टैंड के सामने दो अज्ञात युवकों द्वारा उन्हें झांसे में लेकर उनसे दो लाख रुपये की नगद राशि छीनकर फरार हो गए। वहीं तीसरी घटना मे 22 जून को अर्ध रात्रि के बाद करीबन सवा दो बजे बजे के बीच आठ नौ बदमाश लुटेरों ने आर. के. लिंक रोड निवासी समाज बंधु आनंद अग्रवाल के मकान में रसोई की खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश कर अग्रबंधु के बुजुर्ग माता-पिता को चाकू की नोक पर डरा धमकाकर उनके लॉकर से दो सोने की चूड़ियां, एक मंगलसूत्र और 15 हजार रुपए नकद व अन्य सामान लेकर फरार हो गये। इसी तरह मई 2022 में भी मझेला रोड स्थित समाजबंधु मूलचंद अग्रवाल के आवास से भी चोरों ने दिनदहाड़े लाखों रुपए की चोरी कर ली जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। महामंत्री अग्रवाल ने जिला पुलिस कप्तान वंदिता राणा को बताया कि अग्रवाल बंधुओं के साथ हुई चोरी, डकैती, लूट व नकबजनी की घटनाओं को लेकर किशनगढ़ के संपूर्ण अग्रवाल समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जिस पर जिला पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि मार्बल सिटी में तीनों वारदात को लेकर अलग-अलग दिशा में पुलिस की टीम सक्रियता से काम कर रही है व उन्होंने इस दिशा में जल्दी ही सफलता मिलने की उम्मीद भी जताई।

जिस पर श्री अग्रवाल समाज संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने उनका आभार जताते हुए शीघ्र ही तीनों वारदात का पर्दाफाश करने की व चोरी गया सोना, चांदी व नगदी पीड़ित पक्ष को दिलवाने की मांग करते हुए घटना में लिप्त बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की गई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा भी मौजूद थे।

मामले को लेकर किशनगढ़ के पुलिस उप अधीक्षक को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था अजमेर के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक पंसारी, अग्रवाल समाज अजमेर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भवन प्रबंधक राधेश्याम गर्ग, दामोदर अग्रवाल, सर्वेश्वर गोयल, मूलचंद अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, माणकचंद अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, शिवकुमार गोयल, अशोक गोयल, जयेश कामदार, बबलू बैणावत, सुखदेव बंसल, पंकज अग्रवाल, राजेश बंसल, रमाकांत गोयल, अशोक गोयल, डी सी अग्रवाल, माणकचंद अग्रवाल, प्रतीक गर्ग सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद थे।

पुलिस जवान व सी आर पी के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च

मेड़ता सिटी, (निसं)। मेड़ता पुलिस व सी आर पी के जवानों के साथ मेड़ता शहर में गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के मुख्य मार्गो से होते हुए चारभुजा चौक सहित अन्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकला गया ।मेड़ता डिप्टी राम करण मिलिंडा ने बताया कि मेड़ता पुलिस व सी आर पी के अधिकारी व जवानों के साथ मेड़ता शहर में फ्लैग मार्च निकला गया जिसमें अपराधियों में भय बढ़ता रहे और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे ।वही सी आर पी के अधिकारी पी बी सिंह ने बताया कि सी आर पी द्वारा जिस शहर में फ्लैग मार्च निकाला जाता हे वहा जाकर थाने से अपराधियों की लिस्ट ली जाती हे और शहर में अधिकारियों व जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकला जाता हे जिससे भविष्य में किसी अपराधियों द्वारा उपद्रव मचाया जाता हे और कोई शांति व्यवस्थाओं को खराब करता हे तो पुलिस लिस्ट के अनुसार अपराधियों पर शिंकजा कस व्यवस्थाओं को सुधार करने का काम करता है।

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)छोटीखाटू जिला डीडवाना-कुचामन

क्रमांक: भू.अ./2025/1070 दिनांक-24.06.2025

-: सार्वजनिक सूचना :-

जो कि प्रार्थी श्री श्रवणसिंह पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी छोटी खाटू तहसील छोटीखाटू ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम छोटीखाटू के वर्तमान ख.नं. 483 रकबा 2.90 हैक्टयर किस्म बारानी 1 ओमप्रकाश पुत्र दयानन्द हि. 7/32 ओमप्रकाश पुत्र भैरूबक्स 1/4 भागोती पत्नी इठलप्रसाद 1/32 रतनलाल पुत्र चुन्नीलाल 1/4 कौम ब्राह्मण देवाराम दत्तक पुत्र भूराराम 1/4 कौम जाट दर्ज है। जिसका रतनलाल पुत्र चुन्नीलाल कौम ब्राह्मण निवासी छोटी खाटू द्वारा अपने स्वयं के 1/4 हिस्से की भूमि का तथा ओमप्रकाश पुत्र भैरूवक्श कौम ब्राह्मण निवासी छोटी खाटू के 1/4 हिस्से की भूमि का यानि उक्त खसरे की कुल भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध इकरारनामा उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा श्रवणसिंह पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी छोटी खाटू तहसील छोटीखाटू के पक्ष में लिखा हुआ है। इसलिए उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के पक्ष में किया जाना है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय में जेरकार है जिसमें तारीख पेशी 01.07.2025 मुकर्रर है। अत: किसी व्यक्ति को एतराज हो तो नियत तारीख पर स्वयं या जरिये वकील उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजर ने मियाद कोई एतराज मान्य नहीं होगा। यह नोटिस आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रांक से जारी किया गया। तहसीलदार(भू.अ.)छोटी खाटू

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन पुष्कर, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

क्रमांक -LU2012/ADA/2025-26/101641 लोक सूचना दिनांक : 23.06.2025

श्री LIKHMA RAM पुत्र श्री ANDA RAM जाति JAT निवासी 33, SARASWATI NAGAR, KAYAD ROAD, AJMER ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी को निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र.स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (व.मी.)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सूरजकुण्ड, पीसांगन (अजमेर)	LIKHMA RAM	1507/1452	8400	0.84
2.	सूरजकुण्ड, पीसांगन (अजमेर)	LIKHMA RAM	1509/1459	3500	0.35
				कुल	1.19

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किय। जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.06.2025 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी जोन पुष्कर, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

जरूरतमंद कन्या को वैवाहिक सामग्री भेट

अजमेर, (कासं)। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान के तत्वाधान में ह्यूमैनिटी, रिलीफ टू थे हेल्पलेस इन इंडिया परियोजना के अंतर्गत जरूरतमंद कन्या के शुभ विवाह में आशीर्वाद सहित वैवाहिक सामग्री भेट की। यह कार्यक्रम दौराई ग्राम में आयोजित हुआ जिसके चलते दैनिक जीवन में काम आने वाली समस्त सामग्री जैसे बर्तन, टेबल फैन, मिक्सी , प्रेस, सिलाई मशीन, एक श्रृंगार पेटी इत्यादि का वितरण कर मानवीय राहत प्रदान की गयी। आरएसकेएस टीम सदस्यों ने ऐसे ही जरूरतमंद कन्याओ की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मौजूद दौराई सरपंच हंसराज चौधरी उपसरपंच बृजेश और समस्त उपस्थित लोगों ने संस्था का आभार जताया।

NAME CHANGE

I, Balmiki Sharma father's of Army No.15207950N, HAV, Ranjan Kumar, Residing at Vill & Po- Narga, Teh-Karpi, Distt- Arwal, Bihar, 804419 have change my name from Balmiki Sharma to Valamiki Singh vide affi-

NAME CHANGE

I, Urmilla Devi Mother's of Army No.15207950N, HAV, Ranjan Kumar, Residing at Vill & Po- Narga, Teh-Karpi, Distt- Arwal, Bihar, 804419 have change my name from Urmilla Devi to Uramila Devi vide affidavit No CA 333698 Dt 25/06/2025 at court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I have changed my name from **Komalben Chauhan** to **Komalben Ratan Solanki** after marriage. Therefore, for all future purposes (such as passport, etc.), I should be known and recognized as **Komalben Ratan Solanki,** wife of Shri Ratan Solanki.

Address: **Sindhi Topdada, Gujarati Samaj, Ajmer, Raj.**

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/AJMER/TRUST/2025/182 चूंकि प्रार्थी श्री BHAWARLAL, V.P. TILONIYA, AJMER, RAJASTHAN, 305816 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास जन विकास संस्थान तिलोनिया, TILONIYA, KISHANGARH, AJMER, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19/09/2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

धूमधाम से मनेगा दस दिवसीय भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव

- 26 जून से 5 जुलाई तक होंगे रथयात्रा, भजन संध्या व कथा सहित कई धार्मिक कार्यक्रम

अजमेर, (कासं)। श्री जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा महोत्सव समिति व श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी छोटा धड़ा जनकपुरी गंज के तत्वावधान में दस दिवसीय भगवान श्री जगन्नाथ भगवान का रथयात्रा महोत्सव कई भव्य धार्मिक कार्यकमों के साथ उत्साह व धूमधाम से मनाया जाएगा। गंज स्थित जनकपुरी में महोत्सव का शुभारम्भ 26 जून से शुरू होगा, जो 5 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा के साथ सम्पन्न होगा।

सभी धार्मिक कार्यक्रम जनकपुरी में ही आयोजित किए जाएंगे।श्री जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा महोत्सव समिति के अध्यक्ष संजय कंदोई व मेला संयोजक राकेश डिडवानिया, विनोद डिडवानिया व हरीश बंसल ने महोत्सव के कार्यकमों की जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जून से 5 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। महोत्सव के तहत आयोजित होने वाली रथयात्रा, भजन संध्या, कथा सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रमों को लेकर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों की जिम्मेदारी तय कर दी है। कार्यक्रमों के लिए भव्य पांडाल तैयार किया जा रहा है। इस महोत्सव के लिए प्रमुख लोगों को निमंत्रण पत्र भी दिए जा रहे है।

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक: 509 जाहिर आम सूचना दिनांक: 25/06/2025

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 5/38, पंचशील शहर, अजमेर में श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद माथुर को आवंटित कर दिनांक 18.06.1998 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद माथुर की मृत्यु दिनांक 31.12.2000 को हो जाने के कारण उनकी पत्नि श्रीमती राधा माथुर पत्नि स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर के पक्ष में दिनांक 12.12.2011 को मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण के आदेश जारी किये गये। श्रीमती राधा माथुर पत्नि स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर द्वारा दिनांक 10.01.2012 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्रीमती राधा माथुर पत्नि स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर द्वारा मुख्त्यार आम श्री हेमेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री मनोहर सिंह राठौड़ के पक्ष में निष्पादित किया गया। मुख्त्यार आम के आधार पर श्री हेमेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री मनोहर सिंह राठौड़ द्वारा उक्त आवास का बैचान श्रीमती संगीता कपूर पत्नि श्री अनूप कपूर एवं श्री सनी कपूर पुत्र श्री दलीप कपूर को कर दिया गया। मण्डल द्वारा दिनांक 26.11.2013 को श्रीमती संगीता कपूर एवं श्री सनी कपूर के पक्ष में नामान्तरण के आदेश जारी किये गये। श्रीमती संगीता कपूर एवं श्री सनी कपूर द्वारा आवास का वैचान श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि स्व. श्री जय कुमार को कर दिया गया। पुन: श्रीमती इन्द्रा देवी उर्फ इन्द्रा मूलचन्दानी पत्नि स्व. श्री जय कुमार द्वारा आवास का वैचान श्री रघुनन्दन सिंह चौहान पुत्र श्री भवानी सिंह चौहान को दिनांक 04.05.2025 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 970 में पृष्ठ संख्या 172 क्रम संख्या 202503002104392 पर पंजीवद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3880 के पृष्ठ संख्या 582 से 591 पर दिनांक 04.05.2025 को चस्पा किया गया है।अब श्री रघुनन्दन सिंह चौहान पुत्र श्री भवानी सिंह चौहान ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री रघुनन्दन सिंह चौहान पुत्र श्री भवानी सिंह चौहान का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है।अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सहायक प्रशासनिक अधिकारी,राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

एडीए ने कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग लेने की प्रक्रिया शुरू की

- एमओयू के तहत बिल्डिंग को ध्वस्त कर सौपा जाएगा एडीए को

अजमेर, (कासं)। अजमेर के नए बने जिला एवं सत्र न्यायालय के भवन के बाद अब पुराने भवन को एमओयू के तहत एडीए को सौपा जाएगा। इसे लेकर एडीए ने अब कवायद तेज कर दी है। एडीए की और से न्यायालय को पत्र लिखकर उक्त भूमि को एडीए को सौपे जाने की बात कही है।

जानकारी के अनुसार 27 मार्च 2014 को एडीए व जिला न्यायालय के बीच एक एमओयू किया गया था। इस एमओयू के द्वारा खसरा नम्बर 3239 में से 15.85 बीघा भूमि जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर को दिये जाने की सहमति हुई तथा एमओयू 27 दिसम्बर 2017 के द्वारा न्यायालय परिसर के लिए पूर्व मे आवंटित भूमि के साथ ही 8115.26 वर्गगज शेष भूमि दिये जाने की सहमति हुई। इस तरह 27 मार्च 2014 व 27 दिसम्बर 2017 को हुए एमओयू के अनुसार एडीए द्वारा कुल 32436.04 वर्गमीटर भूमि न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए जिला न्यायालय अजमेर को दी गई। एमओयू की शर्तो के अनुसार न्यायालय परिसर अजमेर के नवीन भवन मे स्थानान्तरण होने के बाद न्यास भूमि के विनिमय मे जिला न्यायालय, अजमेर के वर्तमान परिसर की 12.32 बीघा भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तानान्तरित की जानी है। 27 दिसम्बर 2017 को हुए एमओयू की शर्त संख्या 04 के अनुसार न्यायालय की वर्तमान भूमि के बदले प्राधिकरण को दी जाने वाली समस्त भूमि के हस्तानान्तरण व नामान्तरण की कार्यवाही के समानान्तर ही प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली भूमि का भी नामान्तरण करवाया जाकर प्राधिकरण के नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही की जानी है।

वर्तमान न्यायालय परिसर की भूमि पर वर्तमान निर्माण हटाकर व भूमि समतल की जाकर प्राधिकरण को कब्जा संभलाना होगा तथा वर्णित शर्त संख्या 05 के अनुसार वर्तमान न्यायालय परिसर मे अधिवक्ताओ के जो चेम्बर बने हुये है उन्हे खाली करवाकर प्राधिकरण को कब्जा संभलाया जायेगा। एडीए आयुक्त नित्या के. के अनुसार प्रभारी अधिकारी जिला न्यायालय को एक पत्र भेजकर एमओयू के अनुसार वर्तमान न्यायालय परिसर की 12.32 बीघा भूमि का प्राधिकरण को कब्जा सुपुर्द करवाने की बात की गई है।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी,अजमेर

क्रमांक-रसद/अभियोजन/6ए/नीलामी/2025-26/4262 दिनांक-25.06.2025

सार्वजनिक नीलामी सूचना 2025-26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में पेट्रोलियम पदार्थ की खुली नीलामी (जहां है जैसी स्थित में है) की जानी है, जिसके लिये पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, विक्रय व भण्डारण का विधि सम्मत पात्र पंजीयन फार्म को आमंत्रित किया जाता है। नीलामी शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट http/www.food.raj.nic.in देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। नीलामी शर्तों की विस्तृत जानकारी स्थानीय कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।
-रतन कौर, जिला रसद अधिकारी(प्रथम), अजमेर

कार्यालय जिला रसद अधिकारी,अजमेर

क्रमांक-रसद/अभियोजन/6ए/नीलामी/2025-26/4255 दिनांक-25.06.2025

सार्वजनिक नीलामी सूचना 2025-26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में पेट्रोलियम पदार्थ की खुली नीलामी (जहां है जैसी स्थित में है) की जानी है, जिसके लिये पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, विक्रय व भण्डारण का विधि सम्मत पात्र पंजीयन फार्म को आमंत्रित किया जाता है। नीलामी शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट http/www.food.raj.nic.in देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। नीलामी शर्तों की विस्तृत जानकारी स्थानीय कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।
-रतन कौर, जिला रसद अधिकारी(प्रथम), अजमेर

शौर्य की नई कार्यकारिणी का गठन

अजमेर, (कासं)। लायंस क्लब अजमेर शौर्य की लायनेस्टीक ईयर 2025 - 26 के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। डिस्ट्रिक मीडिया कॉर्डिनेटर एमजेएफ लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष के लिए लायन रीना श्रीवास्तव, सचिव लायन भावना अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायन प्रिया बंसल को नियुक्त किया गया है। नई कार्यकारिणी का कार्यकाल एक जुलाई, 25 से 30 जून,2026 तक रहेगा।

फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन

अजमेर, (कासं)। स्वर्गीय सुरेश सिंह चौहान की स्मृति में 7 ए साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक हुआ। प्रतियोगिता में राजपूताना क्लब विजेता रही, जबकि आर्य क्लब उपविजेता। समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा विजेता टीमों ट्रॉफी तथा टीम के खिलाडियों को मेडल पहनकर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति के संयोजक पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय सुरेश सिंह चौहान की स्मृति सेवन ए साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपुरा रहे। प्रतियोगिता में करीब 18 टीमों ने भाग लिया। फाइल मुकाबला राजपूताना क्लब और आर्यन क्लब के बीच खेला गया, जिसमें राजपूताना क्लब विजय रहा, जबकि आर्यन क्लब उपविजेता। समारोह में अतिथियों द्वारा विजेता टीमों के खिलाड़ियों का मेडल पहन कर और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि डॉ. कुलदीप सिंह राजपुरा ने कहा कि खिलाडियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हारने वाली टीम को यह नहीं समझना चाहिए कि वह कमजोर रही बल्कि उसे अपनी कमजोरी का आकलन कर अच्छे और बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक:न.नि.अ./भवन/25-26/124 आपति सूचना दिनांक-25/6/2025

श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री किशनचन्द एवं श्री किशनचन्द पुत्र श्री खुशालदास निवासीगण न्यू कवंडसपुरा मदारगेट अजमेर द्वारा एक सम्पति ए.एम.सी. नं.11/528=17/237= 36/95 जो वाके रामद्वारा नला बाजारा, अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 36.78 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है।

पूर्व में- गली रास्ता आम पश्चिम में- रामद्वारा की सम्पति
उत्तर में- रामद्वारा की सम्पति दक्षिण में- गली रास्ता आम

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जाएगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक:न.नि.अ./भवन/25-26/127 आपति सूचना दिनांक-26/6/2025

श्री ओमप्रकाश साहू पुत्र स्व. श्री ताराचन्द साहू निवासी के 01 माली मौहल्ला क्रिश्चयनगंज अजमेर द्वारा एक भूखण्ड संख्या के-1-ए जिसका सम्पति ए.एम.सी. नं. 01/336 जो वाके माली मौहल्ला क्रिश्चयनगंज अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 85.15 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व में- सम्पति श्री अनवर मैसी को पश्चिम में- मुख्य रास्ता
उत्तर में- आम रास्ता दक्षिण में- आम गली है

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जाएगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक: न.प.कि./कृषि भूमि नियमन/2025/797 लोक सूचना दिनांक: 23/06/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा संख्या 05 में स्वीकृत आवास योजना में विकासकर्ता द्वारा अग्र विरणानुसार प्रोविजनल आंवटन पत्र प्रारूप-3 के आधार पर पट्टा विलेख बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1	श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश अग्रवाल निवासी जीवन ज्योति नगर मदनगंज किशनगढ़।	फरासिया 05 165 वर्गगज	आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहने हेतु

आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक: न.प.कि./कृषि भूमि नियमन/2025/797 लोक सूचना दिनांक: 23/06/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा संख्या 05 में स्वीकृत आवास योजना में विकासकर्ता द्वारा अग्र विरणानुसार प्रोविजनल आंवटन पत्र प्रारूप-3 के आधार पर पट्टा विलेख बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1	श्रीमति जया देवी पत्नि श्री हरी शेखर शर्मा निवासी बी 6 दाता नगर गेगल मार्ग अजमेर।	फरासिया 05 150 वर्गगज	आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहने हेतु

आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण पर निगम की कार्यवाही

- दुआ रेस्टोरेंट में संचालित स्पा सेंटर को किया सीज
- कांग्रेसी पार्षद ने यूडीएच मंत्री से की थी शिकायत
- स्पा-बार संचालन के लगाए थे आरोप

अजमेर, (कासं)। अलवरगेट थाना के नगरा क्षेत्र स्थित दुआ रेस्टोरेंट की बिल्डिंग पर नगर निगम ने कार्यवाही करते बिल्डिंग के कुछ हिस्से को सीज कर दिया। यह कार्रवाई नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण के चलते की गई। निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। सीज की कार्रवाई से पहले बिल्डिंग मालिक और निगम अधिकारियों के बीच काफी बहस भी हुई। निगम अधिकारियों ने भारी विरोध के चलते सीज की कार्यवाही को अंजाम दिया।

नगर निगम की एक्सईएन आंकाक्षा सोनी ने बताया कि दुआ रेस्टोरेंट के नाम से संचालित इस बिल्डिंग में स्वीकृत 12.30 मीटर की तुलना में 18 मीटर ऊंचाई तक निर्माण पाया गया, जो नियमों के खिलाफ है। भवन मालिक को कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसलिए टीम ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग के कुछ हिस्से को सीज किया है।

पार्षद ने की थी शिकायत : स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध बिल्डिंग में स्पा सेंटर और बार भी संचालित हो रहा था। इससे पूर्व में आबकारी विभाग को भी शिकायत भेजी गई थी। महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने भी हाल ही में नगरीय विकास मंत्री झबर सिंह खर्रा और जिला प्रशासन को शिकायत पत्र दिया था। इसमें अवैध निर्माण और स्पा संचालन को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी।

बिल्डिंग मालिक ने लगाए आरोप, निगम की कार्यवाही को बताया गलत:- सीज की कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग मालिक की पत्नी तरनजीत ने आरोप लगाया कि निगम ने उन्हें 8 महीने पहले अंतिम नोटिस दिया था, जिसके जवाब भी समय पर दे दिए गए। बावजूद इसके इतनी देरी के बाद अचानक कार्रवाई करना गलत है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सभी नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की गई थी। बार-बार नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, चलते मजबूरन सीजिंग करनी पड़ी।

भाटी फोटो-04-बिल्डिंग जिसे निगम द्वारा सीज किया गया तथा इनसेट में लटका ताला तथा निगम की कार्यवाही का विरोध करते बिल्डिंग मालिक।

कार्यालय नगर परिषद, केकड़ी (राजस्थान)

Email ID – npkekri2011@gmail.com Ph:- (O) : 01467-220002, 220019 web site : www.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri

क्रमांक : न.प.के. / 2025–26 / 1152 आपत्ति आमन्त्रण सूचना दिनांक : 23.06.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि परिषद क्षेत्र में निम्न आवेदको द्वारा नगर परिषद केकड़ी में आनॅलाईन हस्तानान्तरण व निर्माण स्वीकृति चाहने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है। जिसमें किसी भी व्यक्ति/सज्जन/पड़ोसी को कोई आपत्ति हो, तो कार्यालय में 7 दिवस में मे लिखित में मय दस्तावेजों के प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। जिसमें किसी का कोई उजर मान्य नहीं होगा–

क्र. सं.	आवेदक / पिता का नाम	आवेदित स्थल	नाप वर्गगज में	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	श्री कृष्णस्वरूप, श्री राजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जेतवाल	काजीपुरा	158.86	मकान गोपाल व रामदेव तेली का	पोखर तेली वगैरह व पोस्ट ऑफिस	आम रास्ता	मकान रतन लाल तेली का
2	श्री कृष्णस्वरूप, श्री राजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जेतवाल	जुनिया गेट के पास	195.04	मकान कालू जाट व नाथू तेली का मकान	मकान छीतर मल तेली	आम रास्ता	मकान कस्तुरा बलाई का
3	श्री रामप्रसाद पुत्र भीमा राम	प्लॉट 58, कृष्णा नगर अजमेर रोड	83.33	रामनारायण तेली का मकान	आम रास्ता व अजमेर से कोटा रोड	महादेव सिंधी का मकान	कोटा से अजमेर रोड
4	सुश्री भावना गुर्जर पुत्री रामसहाय, रामफूल गुर्जर पुत्र रामसहाय, रोहितश्व पुत्र संजय सिंह	खसरा सं. 674	9325.33	ख.सं. 675	ख.सं. 674 / 1012	आम रास्ता व ख.स. 1366 / 679 व 678 / 1011	ख. नं. 1074 / 1085
5	श्री रामचन्द्र कोडवानी पुत्र टहलराम कोडवानी	घोसी मोहल्ला	114.00	सम्पति राधेश्याम जी गर्ग	कमरा उषा देवी चौकडीवाल का	सम्पति दोलतराम कोडवानी	आम रास्ता
6	श्री रामचन्द्र कोडवानी पुत्र टहलराम कोडवानी	घोसी मोहल्ला	117.73	सम्पति लक्ष्मण कोडवानी की	सामलाती रास्ता ग्राउण्ड फ्लोर	सम्पति उषा चोकडीवाल की	सीमेन्ट सडक
7	श्रीमती अंजू कंवर पत्नी भरत सिंह	शिव कॉलोनी	120.00	रास्ता 20'	कॉलोनी प्लाट	प्लॉट नं 6	प्लॉट नं 8
8	श्रीमती कृष्णा पत्नी दौलत राम	आधुनिक कॉलोनी द्वितिय	116.00	प्लॉट नं 15	आम रास्ता 30'	नोहरा	आम रास्ता
9	श्री राधेश्याम पुत्र रामनिवास	रेगरान बस्ती	91.81	मकान अशोक हरिजन	मकान धनरूप रेगर	रास्ता	अन्य मकान
10	श्रीमती लाजवंती पत्नी भगवान दास, सुश्री ममता देवी पुत्री भगवान दास	गूर्जरवाडा मण्डी रोड केकड़ी	99.67	खिज्जुमल सिंधी	रास्ता	मकान सुरज मल माली	रास्ता
11	मुमताज बानो पत्नी सिराजुद्दीन खिलजी, मोहम्मद रईस व जावेद पुत्र सिराजुद्दीन	आर टी ऑफिस के सामने	40	पटरी रोड व अजमेर –कोटा रोड	प्लॉट सं. 28	प्लॉट सं. 4 का शेष भाग	प्लॉट सं. 4 का शेष भाग
12	श्रीमती अल्का वैष्णव पत्नी कृष्ण गोपाल वैष्णव	अशोक नगर	133.33	प्लॉट नं 34	आम रास्ता 20' चौडा	प्लॉट नं 32 का शेष भाग	आम रास्ता 20' चौडा

क्र. सं.	आवेदक / पिता का नाम	स्वीकृत योजना	भूखण्ड नम्बर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रयोजनार्थ
1	श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र इन्द्रमल जैन	महावीर कॉलोनी, सापुन्दा रोड	प्लाटे नं 23 व 26 का पूर्वी भाग	81.31	निर्माण स्वीकृति
2	श्री प्रहलाद, श्री नन्द लाल, नोरतमल पुत्र मोहन लाल तेली	कृषि मण्डी के सामने	–	50.16	निर्माण स्वीकृति
3	श्री आशाराम मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा	विद्यासागर कॉलोनी प्रथम, सापुन्दा रोड	प्लॉट नं 15 B का भाग	105.13	निर्माण स्वीकृति
4	श्री बजरंग लाल पुत्र नन्द लाल तेली	राजपुरा रोड	–	33.90	निर्माण स्वीकृति

राज.संवाद / सी / 25 / 4774 आयुक्त